# राजस्थान सरकार
# निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4 (ई)/नि.प. (701/81)/अलेसे–III/ 1433 दिनांक :– 01-06-2018

**आदेश संख्या 92 /2018–19**

श्री निरंजन लाल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, तत्कालीन कार्यालय उपकोषाधिकारी, बयाना, जिला भरतपुर को माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर में अपराध संख्या 128 /2001 (कोर्ट केस संख्या 34/2014 (13/2002) सरकार बनाम श्री निरंजन लाल शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2018 द्वारा अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड छः माह के साधारण कारावास तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (डी) सपठित धारा 13 (2) के तहत अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड नौ माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी के तहत अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/–रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री निरंजन लाल शर्मा, क0 लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण उसे दोषसिद्ध ठहराया गया है, ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री निरंजन लाल शर्मा, क0 लेखाकार को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.1996 के बिंदु संख्या 7 (2) के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि सुनाने की दिनांक 24.01.2018 से पदच्युत करते हैं/सेवा से हटाते हैं।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4 (ई)/नि.प. (701/81)/अलेसे–III/ 1433 दिनांक :– 01-06-2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्र.नि. ब्यूरो/विधि/7/2018/839–40 दिनांक 26.03.2018 के क्रम में।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर
4. महानिरीक्षक, पुलिस (प्रथम), भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, जयपुर
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, भरतपुर
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, भरतपुर
7. कोषाधिकारी, भरतपुर (रजिस्टर्ड)
8. उपकोषाधिकारी, बयाना, जिला–भरतपुर
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर (राजस्थान)
10. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर (राजस्थान)
11. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) / डीपीसी शाखा, कार्यालय हाजा
12. अतिरिक्त निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा
13. चिकित्साधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, बयाना, भरतपुर
14. श्री निरंजन लाल शर्मा, क0 लेखाकार, सामुदायिक स्वा. केन्द्र, बयाना, भरतपुर (रजिस्टर्ड)
15. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग (बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)
16. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
17. गोपनीय शाखा/ पदस्थापन सीट।
18. क0 लेखाकार वरिष्ठता सूची सीट।
19. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)